UPSP040001181996

न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय, सहारनपुर।

उपस्थिति : श्रीमती मेहा (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)

आपराधिक वाद संख्या–**902/2025**

सरकार...अभियोजन

बनाम

1. राजीव मंगलम(पूर्व में डिस्चार्ज किया जा चुका है)
2. विजय कुमार शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा.....निवासी मौ0 जे0जे0 पुरम कॉलोनी सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. देवी सिंह पुत्र बल्लूराम....निवासी कोरी माजरा दरा शिवपुरी जनपद सहारनपुर।

...अभियुक्तगण

धारा–**406, 420, 467, 468 एवं 120बी भारतीय दण्ड संहिता**
मुकदमा अपराध संख्या–**280/1995**
थाना–**कोतवाली देहात,** जनपद–**सहारनपुर।**

वादी	उत्तर प्रदेश सरकार
अभियुक्त	1. विजय कुमार शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा 2. देवी सिंह पुत्र बल्लूराम
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने का दिनांक	02.08.1995
आरोप–पत्र प्रेषण दिनांक	05.01.1996
आरोप विरचित करने का दिनांक	15.05.2025
साक्ष्य अभिलेखन आरम्भ करने का दिनांक	04.09.2025
अंतिम तर्क सुनने एवं निर्णय घोषित करने के लिये प्रकरण आरक्षित करने का दिनांक	20.07.2026
निर्णय घोषित दिनांक	25.07.2026

अभियोजन / बचाव / न्यायालयीन साक्षीगण की सूची

साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार
पी0डब्लू0–01	आशुतोष मिश्रा	गवाहान सूची में अंकित
पी0डब्लू0–02	सुधाकर अग्रवाल	गवाहान सूची में अंकित
पी0डब्लू0–03	धर्म सिंह पुत्र श्री करताराम	गवाहान सूची में अंकित

अभियुक्तगण के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण

Sl. No.	नाम अभियुक्त	व्यवसाय पद	आरोपित अपराध
1	विजय कुमार शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा	दुकानदारी	406, 420, 467, 468 एवं 120बी भारतीय दण्ड संहिता
2	देवी सिंह पुत्र बल्लूराम	प्राईवेट नौकरी	406, 420, 467, 468 एवं 120बी भारतीय दण्ड संहिता

निर्णय

1. यह आपराधिक वाद थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. राजीव मंगलम, 2. विजय कुमार शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा एवं 3. देवी सिंह पुत्र बल्लूराम के विरूद्ध प्रेषित आरोप–पत्र के आधार पर संस्थित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथन इस प्रकार है कि "मैं इण्डियन हर्बर्स रिसर्च एण्ड सप्लाई कंपनी प्रा0 लि0 की फैक्ट्री दर्रा शिवपुरी, सहारनपुर में कार्मिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हूं। हमारे फैक्ट्री में कैल (देवदार) तेल पशु औषधियों के बनाने के कार्य में आता है। इसका स्टोरेज हम टेंकों में करते हैं। जिसका पूरा हिसाब–किताब एवं विवरण रहता है। कुछ अर्सा पहले शक होने पर फिजिकल वैरिफिकेशन करने पर पता चला कि तेल काफी तादाद में कम है यानि चोरी किया गया है। इस तेल से सम्बन्धित कार्य करने के लिये बलजिंदर सिंह, देवी सिंह, राशिद अली, नरेन्द्र जैन, विजय शर्मा, आर0 कुमार मंगलम आदि कार्यरत हैं। तेल लगभग 23,181 किलो चोरी हुआ है। जिसकी कीमत लगभग 6.15 लाख रूपये है।

3. वादी मुकदमा के लिखित प्रार्थना–पत्र के आधार पर सम्बन्धित थाना नकुड़ पर मुकदमा अपराध संख्या–280 / 1995 धारा–406, 420, 467, 468 एवं 120बी भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अभियुक्तगण 1. राजीव मंगलम, 2. विजय कुमार शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा एवं 3. देवी सिंह पुत्र बल्लूराम के विरूद्ध पंजीकृत हुआ तथा विवेचना प्रारंभ हुई।

4. दौरान विवेचना वादी मुकदमा व अन्य गवाहों के ब्यान अंकित किये गये तथा घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया। वादी मुकदमा व अन्य गवाहों तथा नक्शा–नजरी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–406, 420, 467, 468 एवं 120बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के सम्बन्ध में आरोप–पत्र प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–406, 420, 467, 468 एवं 120बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण न्यायालय हाजिर आये और उनके द्वारा अपनी जमानत करायी गयी। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त राजीव मंगलम को माननीय न्यायालय ए0डी0जे0 सप्तम के निगरानी संख्या–461/1996 राजीव मंगलम बनाम आशुतोष मिश्रा दिनांक 19.12.1996 को रिवीजन स्वीकार होकर डिस्चार्ज किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गयी थी जिसको की माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उपरोक्त माननीय न्यायालय ए0डी0जे0 सप्तम के निगरानी संख्या–461/1996 को पुष्ट करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सहारनपुर के आदेश दिनांकित 29.08.1996 को रद्द कर दिया गया था। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण विजय कुमार शर्मा एवं देवी सिंह के विरूद्ध आरोप दिनांक 15.05.2025 को विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने अपने ऊपर लगाये गये आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की। तत्पश्चात पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत हुई।

5. अभियोजन की ओर से तीन साक्षीगण पी0डब्लू0–01 आशुतोष मिश्रा, पी0डब्लू0–02 सुधाकर अग्रवाल एवं पी0डब्लू0–03 धर्म सिंह को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है। न्यायालय द्वारा दिनांक 19.02.2026 को साक्षीगण के वियद्ध गैर जमानतीय वारण्ट एवं धारा 350 दण्ड प्रक्रिया संहिता की आदेशिकाएं जारी की गयी थी, परन्तु अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है। तद्नुसार न्यायालय द्वारा दिनांक 11.06.2026 को अभियोजन का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया। पत्रावली धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान हेतु नियत की गयी। अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 18.06.2026 को अंकित किये गये। जिसमें अभियुक्तगण ने कहा कि झूठा आरोप लगाया गया है तथा साक्षीगण द्वारा दिये गये बयान झूठ हैं तथा आगे कथन किया कि वह फैक्ट्री में मजदूर था। उसकी अभिरक्षा में न टेंक था न ही तेल था उसका काम अधिकारी के आदेश का पालन करना था। वह निर्दोष है।

6. अभियोजन पक्ष एवं अभियुक्तगण पक्ष की बहस को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

7. अभियुक्तगण पर धारा–406, 420, 467, 468 एवं 120बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का आरोप है। उक्त आरोपों को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पर है।

8. अभियोजन की ओर से आशुतोष मिश्रा को पी0डब्लू0–01 के रूप में परीक्षित कराया गया है जिसने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि मैं घटना के समय इण्डियन हर्ब्स रिसर्च एण्ड सप्लाई क0 प्रा0 लि0 दरा शिवपुरी सहारनपुर में कार्मिक कर्मचारी अधिकारी के रूप में पद पर कार्यरत था। हमारी फैक्ट्री में कैल (देवदार) तेल जो पशु औषधी बनाने के कार्य में काम आता है का स्टोरेज हम टेंको में करते हैं। जिसका पूरा हिसाब–किताब प्रोडक्शन विभाग द्वारा रखा जाता था। दिनांक 02.08.1995 से कुछ अरसा पहले शक होने पर फिजिकल वैरीफिकेशन कराया गया तो तेल काफी तादाद में कम था। इस तेल से सम्बन्धित कार्य करने के लिये बलविन्द्र सिंह, देवी सिंह, राशिद अली, नरेन्द्र जैन, विजय शर्मा, आर0के0 मंगलम आदि कार्यरत थे। तेल लगभग 23,181 किलो चोरी हुआ है। उपरोक्त के सम्बन्ध में एक लिखित तहरीर थाना कोतवाली देहात में दी थी जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। जिसे देखकर तस्दीक करता हूं। जिस पर प्रदर्श–क1 डाला गया। उपरोक्त बाते मैंने दरोगा जी को बतायी।

बचाव पक्ष की ओर से जिरह किये जाने पर उसके द्वारा कथन किया गया कि मेरा कार्य कर्मचारियों पर कंट्रोल करना है। भर्ती करना है। हमारी फैक्टरी में उत्तर, दक्षिण, पूरब व पश्चिम में चारो तरफ 10 फिट उंची दीवारे हैं। चारों दीवारों पर तीन फुट उंची लोहे की बाठ लगी हुई है। पूर्व में गेट लगा है जिसमें छोटा गेट लगा है। इसी गेट से फैक्टरी परिसर में प्रवेश व निकास होता है। कोई भी व्यक्ति या सामान गेट पर तैनात गार्ड के रजिस्टर में प्रवेश से पूर्व एंट्री करके प्रवेश कर सकता है या बाहर जा सकता है। जब भी कोई सामान फैक्टरी परिसर के बाहर जा सकता है। जब भी कोई सामान फैक्टरी परिसर के बाहर लाया जाता है तो वह मैनेजर साहब द्वारा जारी गेट पास के आधार पर बाहर जा सकता है अन्यथा नहीं। गेट के सामने ही उत्तर दिशा में तेल भरने वाले टेंक रखे हैं। उक्ट आठ टेंक से भी प्रत्क चालीस हजार कैपिसीटी का टेंक है। इसी फैक्टरी परिसर में गोदाम है। जिसमें माल स्टोर किया जाता है व दवाई निर्माण कार्य किया जाता है। अभियुक्तगण विजय कुमार शर्मा देवी सिंह का कार्य टेंको में तेल का हिसाब रखना, भरना व निकालना होता था। उक्त फैक्टरी में आठ–आठ घण्टे की शिफ्ट में लगती थी जो समय–समय पर हर हफ्ते बदल जाती थी। कभी रात की शिफ्ट में तो कभी सुबह की शिफ्ट में। जब डयूटी बदलती थी तो अगली शिफ्ट में डयूटी संभालने वाले कर्मचारी को रजिस्टर में जिसमें तेल का हिसाब रखा जाता थ दे दिया जाता था। टेंकों में बचे तेल की नाप तोल नहीं की जाती थी। फिजिकल वैरीफीकेशन तेल का एक माह से एक बार वही कर्मचारी करते थे जो उस समय डयूटी पर होते थे। जब कोई कर्मचारी या अन्य व्यक्ति फैक्टरी परिसर में प्रवेश करता था या बाहर आता था तो उसकी

तलाशी ली जाती थी। राजीव कुमार मंगलम अभियुक्त नंबर 1 घटना के समय फैक्टरी में प्रोडेक्शन मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। उनके द्वारा दिये गये गेट पास के बिना फैक्टरी से कोई भी माल बाहर नहीं जा सकता था। तेल कम होने की बात पहली बार दिनांक 04.07.1995 को पता चली थी। एफ0आई0आर0 दिनांक 02.08.1995 को लिखायी थी। फैक्टरी में उस समय लगभग 80–100 आदमी काम करते थे। जब तेल टेंकर में भरकर फैक्टरी में आता है तो उसमें गाड व पानी भी होता है। जिसे फैक्टरी में आने के बाद अलग किया जाता है। अभियुक्तगण व फैक्टरी के सभी कर्मचारी राजीव कुमार मंगलम की देखरेख व निर्देशन में कार्य करते थे। फैक्टरी में राव तेल व कोई अन्य सामान इनफरसजमैन में कभी नहीं रहा था। अभियुक्तगण ने तेल की चोरी की हो यह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वहां अन्य कर्मचारी भी कार्यरत थे तथा अलग–अलग शिफ्टो में कार्य करते थे और शिफ्ट बदलने पर टेंको की तेल निकालने का कार्य भी करते थे। फैक्टरी में सुरक्षा व्यवस्था के रहते कोई भी कर्मचारी या अभियुक्तगण तेल को फैक्टरी से बाहर नहीं ले जा सकता था और न ही अभियुक्तगण ने मेरे सामने कोई तेल की चोरी की। यह कहना सही है कि अभियुक्त नं0 1 राजीव कुमार मंगलम फैक्टरी में किये गये सभी कार्य के लिये उत्तरदायी था। यह कहना गलत है कि फैक्टरी से कोई तेल चोरी न हुआ हो और न कम हुआ हो। यह भी गलत है कि अभियुक्तगण विजय व देवी सिंह के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट थाने पर लिखवायी हो और अभियुक्तगण को झूठा फंसाया हो। यह बात सही है कि अभियुक्तगण के कार्यस्थल में अभियुक्तगण का कार्य संतोषजनक रहा था।

9. अभियोजन की ओर से सुधाकर अग्रवाल को पी0डब्लू0–02 के रूप में परीक्षित कराया गया है जिसने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि घटना 1995 की है। मैं उस समय इण्डियन हर्ब्स रिसर्च एण्ड सप्लाई प्रा0लि0 में बतौर निदेशक के पद पर तैनात था। हमारी कम्पनी में केल(देवदार) पशु औषधियों को बनाने में काम आता था का स्टोरेज हम टेंकों में करते थे। जिसका पूरा हिसाब–किताब सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा रखा जाता था। कार्मिक अधिकारी के द्वारा मुझे बताया गया कि स्टोरेज टेंको का फिजिकल वैरीफिकेशन करने पर पता चला कि इसमें तेल काफी तादात में कम है। इसमें तेल में स्टोरेज सम्बन्धी कार्य राजीव मंगलम अभियुक्त नंबर 1 के डाटा देखा जाता था। जिनके अधीन देवी सिंह व विजय कुमार अभियुक्तगण थे। उपरोक्त के सम्बन्ध में कार्मिक अधिकारी आशुतोष मिश्रा द्वारा रिपोर्ट करायी गयी थी। कम्पनी द्वारा जांच कराने पर जानकारी हुई थी कि उपरोक्त चोटी की पूरी जानकारी राजीव मंगलम प्रोडेक्शन मैनेजर की थी। अभियुक्तगणों के खिलाफ कम्पनी द्वारा कराये

गये जांच में चोटी के सम्बन्ध में कोई भी तथ्य प्रकाश में नहीं आये थे और न ही उपरोक्त तेल इनको सुपुर्द में नहीं था। इस स्तर अभियोजन की ओर से गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर प्रतिपरीक्षा करायी गयी जिनमें गवाह को उसका बयान 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि कम्पनी के निदेशक के तौर पर कार्य करने के दौरान जो–जो तथ्य मेरे संज्ञान में थे वो ही बातें मैंने दरोगा जी को बतायी थी जिसमें सारी जिम्मेदारी प्रोडेक्शन मैनेजर राजीव मंगलम की थी। अभिलेखों का जो भी रख–रखाव किया जा रहा था वो इनके द्वारा किया जा रहा था। मुल्जिमानों का कार्य कम्पनी में तेल को प्राप्त करना तथा टेंकों में चढ़ाना तथा रजिस्टर में इन्द्राज करना इनका काम था और उनके प्रोडेक्शन के रूप में तेल को प्रयोग करने के लिये आवश्यकता होती थी तो वह राजीव कुमार मंगलम के निर्देशन में निकाला व प्रयोग किया जाता था। प्रोडेक्शन मैनेजर राजीव कुमार मंगलम द्वारा जारी गेट पास से ही कोई भी वस्तु या तेल फैक्टरी से बाहर जा सकता था। कम्पनी द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई अलग से जांच नहीं करायी गयी थी। मुझे निजी रूप से इस बात की जानकारी नहीं है और न ही कम्पनी की कोई जांच आख्या है। जिसके आधार पर मैं बता सकूं कि अभियुक्तगण देवी सिंह व विजय कुमार के पहरे में फर्जी तेल का आयात या निर्यात करके इनके द्वारा कोई सूचना दी गयी हो। यह कहना सही है कि मैं न्यायालय द्वारा प्राप्त समन के आधार पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ हूं, किन्तु यह कहना गलत है कि अभियुक्तगणों से मिल जाने के कारण या उनसे लाभ प्राप्त होने के कारण में सही बात न बता रहा हूं।

बचाव पक्ष की ओर से जिरह किये जाने पर उसके द्वारा कथन किया गया कि यह कहना गलत है कि फैक्टरी में कोई चोरी न हुई हो। यह कहना सही है कि मुख्य रूप से अभियुक्त नंबर 1 राजीव मंगलम प्रोडेक्शन मैनेजर फैक्टरी में आये तेल व अन्य सामान के लिए उत्तरदायी थे और उनके गेट पास के बिना फैक्टरी से कोई भी वस्तु या तेल बाहर नहीं जा सकती थी। अभियुक्तगण देवी सिंह व अजय कुमार का फैक्टरी में चोरी में कोई हाथ है या नहीं मैं नहीं कह सकता। अभियुक्तगण देवी सिंह व विजय कुमार कर्मचारी के रूप में कार्य सन्तोषजनक रहा।

10. अभियोजन की ओर से धर्म सिंह को पी0डब्लू0–03 के रूप में परीक्षित कराया गया है जिसने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि मैं इण्डियन हर्ब्स रिसर्च एण्ड सप्लाई कम्पनी प्रा0 लि0 में बतौर सुपरवाईजर के पद पर घटना के समय तैनात था। हमारी फैक्टरी में केल (देवदार) तेल पशु औषधि बनाने के काम में आता है। जिसका स्टोरेज हम टेंकरों में करते थे। जिसके हिसाब–किताब का विवरण आदि का कार्य राजीव मंगलम प्रोडक्शन मैनेजर के द्वारा किया जाता था। इनके अधीन वियज शर्मा व देवी सिंह आदि

कार्यरत थे। बाद में मुझे जानकारी हुई थी कि स्टोरेज टेंकों में करीब 23 हजार लीटर तेल कम था। इसके सम्बन्ध में कम्पनी के कार्मिक अधिकारी श्री आशुतोष मिश्रा द्वारा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कर मुकदमा पंजीकृत किया था। उपरोक्त के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा कोई जांच की गयी थी अथवा नहीं इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है और न ही मैं ऐसी किसी जांच कमेटी का सदस्य रहा हूं।

बचाव पक्ष की ओर से जिरह किये जाने पर उसके द्वारा कथन किया गया कि यह कहना सही है कि अभियुक्तगण देवी सिंह व विजय कुमार द्वारा टेंको से तेल निकालना व उसे फैक्टरी से बाहर ले जाना सम्भव नहीं था। फैक्टरी में आठ–आठ घण्टे की तीन शिफ्ट लगती थी। तीनों शिफ्ट में अलग–अलग कर्मचारियों की डयूटी लगती थी। जोकि टेंको से तेल निकालने व दवाई बनाने के लिये गोदाम भेजने का कार्य करता है। अभियुक्तगण की डयूटी भी हर हफ्ते शिफ्ट बाईस बदल जाती थी। जो फैक्टरी में तेल आता था उसमें पानी व गाद मिली होती थी उसे पानी व गाद को तेल से अलग किया जाता था। तेल के कम होने का यह भी कारण हो सकता है। फैक्टरी में तेल टेंको से चोरी हुआ था या नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं है और मेरा कार्य कर्मचारियों पर नियंत्रण करना व उनके कार्य की देखभाल करना होता है।

न्यायालय निष्कर्षण

1. भारतीय आपराधिक न्यायशास्त्र का मूल सिद्धान्त है कि अभियोजन को अभियुक्त का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करना होता है। अभियुक्त निर्दोष होने की उपधारणा के साथ न्यायालय के समक्ष आता है और यह उपधारणा तब तक बनी रहती है जब तक अभियोजन विश्वसनीय एवं स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा आरोप सिद्ध न कर दे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह आधारित किया है **"Suspicion, however strong, cannot take the place of proof." — Sarwan Singh Rattan Singh v. State of Punjab, (AIR 1957 SC 637)** इसी प्रकार *"The prosecution must stand on its own legs and cannot derive strength from the weakness of the defence."* **— Sharad Birdhichand Sarda v. State of Maharashtra, (1984) 4 SCC 116**

2. अतः न्यायालय का दायित्व यह है कि वह सम्पूर्ण साक्ष्य का समग्र मूल्यांकन कर यह परीक्षण करे कि क्या अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रत्येक आरोपित अपराध के आवश्यक अवयवों को संदेह से परे सिद्ध करते हैं।

विचारण हेतु निर्धारणीय बिन्दु–

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय हैं–

(i) क्या अभियोजन यह सिद्ध कर पाया है कि विवादित तेल अभियुक्त विजय कुमार शर्मा अथवा देवी सिंह को विधिसम्मत रूप से सुपुर्द था तथा उन्होंने उसका आपराधिक न्यासभंग किया, जिससे धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध सिद्ध होता है?

(ii) क्या अभियोजन यह सिद्ध कर पाया है कि अभियुक्तों ने छलपूर्वक कम्पनी को धोखा देकर कोई सम्पत्ति प्राप्त की अथवा कम्पनी को क्षति पहुँचाई, जिससे धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध सिद्ध होता है?

(iii) क्या अभियोजन यह सिद्ध कर पाया है कि अभियुक्तों ने किसी मूल्यवान अभिलेख अथवा अन्य दस्तावेज की कूटरचना की या कूटरचित दस्तावेज का उपयोग किया, जिससे धारा 467 एवं 468 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध सिद्ध होते हैं?

(iv) क्या अभियोजन यह सिद्ध कर पाया है कि अभियुक्तों के मध्य उपर्युक्त अपराधों को करने के लिए कोई आपराधिक षड्यन्त्र था, जिससे धारा 120–बी भारतीय दण्ड संहिता का अपराध सिद्ध होता है?

<u>साक्ष्य का मूल्यांकनः</u>

3. अभियोजन ने अपने प्रथम साक्षी के रूप में अशुतोष मिश्रा (पी0डब्लू0–01) का परीक्षण कराया। यह घटना के समय भारतीय हर्ब्स रिसर्च एण्ड सप्लाई कम्पनी प्रा. लि., दरा शिवपुरी, सहारनपुर में कार्मिक अधिकारी (Personnel Officer) के पद पर कार्यरत थे तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट भी इनके द्वारा ही लिखाई गयी थी। अतः अभियोजन का यह प्रमुख साक्षी है। मुख्य परीक्षण में इस साक्षी ने कहा कि कम्पनी में देवदार तेल का उपयोग पशु औषधियों के निर्माण में किया जाता था तथा उसका भण्डारण टैंकों में किया जाता था। कुछ समय पूर्व संदेह होने पर भौतिक सत्यापन कराया गया, जिसमें लगभग 23,181 किलोग्राम तेल कम पाया गया। इस संबंध में उसने थाना कोतवाली देहात पर लिखित तहरीर दी, जिसे न्यायालय में प्रदर्श क–1 के रूप में सिद्ध किया गया। उसने यह भी कहा कि तेल से सम्बन्धित कार्यों में बलविन्दर सिंह, देवी सिंह, राशिद अली, नरेन्द्र जैन, विजय शर्मा तथा राजीव कुमार मंगलम आदि कार्यरत थे। यदि केवल मुख्य परीक्षण पर दृष्टि डाली जाए तो यह प्रतीत होता है कि कम्पनी में तेल की कमी पाई गयी थी तथा उसी आधार पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। किन्तु आपराधिक मुकदमे में मात्र यह सिद्ध हो जाना कि कम्पनी के स्टॉक में कमी थी, अभियुक्तों को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभियोजन को यह भी सिद्ध करना आवश्यक था कि उक्त कमी अभियुक्तों के आपराधिक कृत्य का परिणाम थी तथा उसका विश्वसनीय संबंध

अभियुक्तों से स्थापित होता है। इस दृष्टि से पी.डब्ल्यू.–1 की जिरह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जिरह में इस साक्षी ने स्वीकार किया कि उसका कार्य कर्मचारियों की भर्ती एवं उन पर नियंत्रण रखना था। उसने कम्पनी की सुरक्षा व्यवस्था का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि सम्पूर्ण फैक्ट्री चारों ओर ऊँची दीवारों से घिरी थी, प्रवेश एवं निकास केवल मुख्य द्वार से होता था, प्रत्येक व्यक्ति एवं सामान का प्रवेश एवं निकास रजिस्टर में प्रविष्टि के उपरान्त ही सम्भव था तथा किसी भी सामान को फैक्ट्री से बाहर ले जाने के लिए प्रबन्धक द्वारा निर्गत गेट–पास आवश्यक था। इस साक्ष्य से यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि कम्पनी में सुरक्षा की बहुस्तरीय व्यवस्था विद्यमान थी। ऐसी स्थिति में यदि अभियोजन का आरोप यह है कि लगभग 23,181 किलोग्राम तेल फैक्ट्री से बाहर निकाल लिया गया, तो यह अपेक्षित था कि अभियोजन यह स्थापित करे कि इतनी विशाल मात्रा का तेल सुरक्षा व्यवस्था को पार कर किस प्रकार बाहर ले जाया गया तथा उसमें अभियुक्तों की क्या भूमिका थी। किन्तु इस संबंध में कोई प्रत्यक्ष अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। पी.डब्ल्यू.–1 ने आगे स्वीकार किया कि फैक्ट्री में आठ–आठ घंटे की अलग–अलग शिफ्टें चलती थीं तथा समय–समय पर कर्मचारियों की ड्यूटी बदलती रहती थी। प्रत्येक शिफ्ट के पश्चात् अगली शिफ्ट के कर्मचारी को रजिस्टर सौंप दिया जाता था। उसने यह भी स्वीकार किया कि टैंकों में उपलब्ध तेल का प्रतिदिन मापन नहीं किया जाता था तथा भौतिक सत्यापन लगभग एक माह में एक बार होता था। उक्त स्वीकारोक्ति अभियोजन के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जब अनेक कर्मचारी विभिन्न शिफ्टों में कार्यरत थे तथा नियमित रूप से तेल की मात्रा का सत्यापन भी नहीं किया जाता था, तब मात्र यह कहना कि किसी समय तेल कम पाया गया, किसी विशिष्ट कर्मचारी के विरुद्ध आपराधिक दायित्व स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता पी.डब्ल्यू.–1 ने यह भी स्वीकार किया कि घटना के समय फैक्ट्री में लगभग 80 से 100 कर्मचारी कार्यरत थे तथा सभी कर्मचारी प्रोडक्शन मैनेजर राजीव कुमार मंगलम के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में कार्य करते थे। यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि इस साक्षी ने स्पष्ट कहा कि बिना प्रोडक्शन मैनेजर द्वारा निर्गत गेट–पास के कोई भी सामान फैक्ट्री से बाहर नहीं जा सकता था। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि राजीव कुमार मंगलम के विरुद्ध विचारण नहीं हुआ क्योंकि उन्हें पूर्व में ही उन्मोचित (Discharged) कर दिया गया था। वर्तमान अभियुक्तों के संबंध में इस साक्षी ने ऐसा कोई कथन नहीं किया कि उन्होंने गेट–पास जारी किया, गेट–पास में कूटरचना की अथवा सुरक्षा व्यवस्था को धोखा देकर तेल बाहर निकाला। जिरह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग वह है जिसमें पी.डब्ल्यू.–1 ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया–**"मैं यह नहीं कह सकता कि अभियुक्तगण ने तेल की चोरी की है, क्योंकि वहाँ अन्य कर्मचारी भी**

कार्यरत थे तथा अलग–अलग शिफ्टों में कार्य करते थे।" यह स्वीकारोक्ति अभियोजन के मूल आरोप को प्रत्यक्ष रूप से कमजोर करती है। न्यायालय के समक्ष उपस्थित प्रथम सूचनाकर्ता स्वयं यह कह रहा है कि वह यह नहीं कह सकता कि वर्तमान अभियुक्तों ने चोरी अथवा गबन किया। ऐसी स्थिति में केवल संदेह अथवा संभावना के आधार पर अभियुक्तों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पी.डब्ल्यू.–1 ने आगे यह भी स्वीकार किया कि–**"फैक्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था के रहते कोई भी कर्मचारी अथवा अभियुक्त तेल को फैक्ट्री से बाहर नहीं ले जा सकता था और ना ही अभियुक्तगण ने मेरे सामने कोई तेल चोरी की थी।"**
यह कथन भी अभियोजन के विरुद्ध जाता है। यदि स्वयं प्रथम सूचनाकर्ता यह स्वीकार कर रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था के कारण तेल बाहर ले जाना सम्भव नहीं था तथा उसने अभियुक्तों को कभी चोरी करते नहीं देखा, तो अभियोजन की कहानी केवल अनुमान पर आधारित रह जाती है। पी.डब्ल्यू.–1 ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्तों का कार्य संतोषजनक था। यद्यपि यह कथन अकेले अभियुक्तों को निर्दोष सिद्ध नहीं करता, तथापि यह अभियोजन के उस आरोप का समर्थन भी नहीं करता कि अभियुक्त लगातार आपराधिक षड्यंत्र में संलिप्त थे। समग्र मूल्यांकन से यह स्पष्ट है कि पी.डब्ल्यू.–1 केवल इतना सिद्ध करता है कि कम्पनी में तेल की कमी पाई गयी थी तथा उसी आधार पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। किन्तु उसका साक्ष्य निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों को सिद्ध करने में असफल है–(i) कि विवादित तेल विशेष रूप से अभियुक्त विजय कुमार शर्मा अथवा देवी सिंह को सुपुर्द था (ii) कि अभियुक्तों ने किसी प्रकार तेल का गबन किया (iii) कि अभियुक्तों ने तेल को फैक्ट्री से बाहर निकाला; (iv) कि अभियुक्तों ने किसी दस्तावेज में कूटरचना की; (v) कि अभियुक्तों ने किसी व्यक्ति को धोखा देकर कोई संपत्ति प्राप्त की; (vi) कि अभियुक्तों के मध्य कोई आपराधिक षड्यंत्र था।

4. इस प्रकार पी.डब्ल्यू.–1 का साक्ष्य अभियोजन के लिए केवल तेल की कमी का प्रमाण है, परन्तु उस कमी के लिए वर्तमान अभियुक्तों की आपराधिक उत्तरदायित्व स्थापित करने वाला कोई प्रत्यक्ष अथवा विश्वसनीय परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता। इसके विपरीत, जिरह में की गयी महत्वपूर्ण स्वीकारोक्तियाँ अभियोजन की कहानी में गंभीर संदेह उत्पन्न करती हैं। फलस्वरूप न्यायालय पी.डब्ल्यू.–1 के साक्ष्य को इस सीमा तक ही विश्वसनीय मानता है कि कम्पनी में स्टॉक की कमी पाई गयी थी। किन्तु इस साक्षी के आधार पर अभियुक्त विजय कुमार शर्मा एवं देवी सिंह के विरुद्ध आरोपित अपराधों का आवश्यक संबंध संदेह से परे स्थापित नहीं होता।

5. अभियोजन ने अपने दूसरे साक्षी के रूप में सुधाकर अग्रवाल (पी0डब्लू0–02) का परीक्षण कराया। घटना के समय यह भारतीय हर्ब्स

रिसर्च एण्ड सप्लाई कम्पनी प्रा.लि. में निदेशक के पद पर कार्यरत थे। स्वाभाविक रूप से कम्पनी के प्रशासनिक कार्यों तथा प्रबंधन से उनका संबंध था। अतः अभियोजन का उद्देश्य इनके माध्यम से अभियुक्तों की भूमिका तथा कम्पनी द्वारा की गई जांच को सिद्ध करना था। मुख्य परीक्षण में इस साक्षी ने कहा कि कम्पनी में देवदार तेल का भण्डारण टैंकों में किया जाता था तथा कार्मिक अधिकारी द्वारा यह सूचना दी गई कि भौतिक सत्यापन में तेल की पर्याप्त कमी पाई गई है। उसने यह भी कहा कि स्टोरेज से संबंधित कार्य प्रोडक्शन मैनेजर राजीव कुमार मंगलम के अधीन होता था तथा उनके अधीन देवी सिंह एवं विजय कुमार शर्मा कार्य करते थे। उसने यह भी बताया कि अशुतोष मिश्रा द्वारा इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मुख्य परीक्षण से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कम्पनी में प्रशासनिक उत्तरदायित्व की दृष्टि से सम्पूर्ण व्यवस्था प्रोडक्शन मैनेजर के अधीन थी। किन्तु यह साक्षी भी वर्तमान अभियुक्तों के विरुद्ध किसी प्रत्यक्ष आपराधिक कृत्य का उल्लेख नहीं करता। इस साक्षी के मुख्य परीक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग यह है कि उसने स्वयं कहा कि कम्पनी द्वारा कराई गई जांच में वर्तमान अभियुक्तों के विरुद्ध चोरी के संबंध में कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया था। यह कथन अभियोजन के लिए अत्यन्त प्रतिकूल है। सामान्यतः अपेक्षा की जाती है कि यदि कम्पनी के भीतर इतनी बड़ी मात्रा में माल के गबन का संदेह उत्पन्न हुआ हो तो कम्पनी द्वारा की गई आंतरिक जांच अभियोजन के आरोपों का समर्थन करेगी। किन्तु यहाँ कम्पनी के निदेशक स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि जांच में वर्तमान अभियुक्तों के विरुद्ध कोई तथ्य सामने नहीं आया। अभियोजन ने इस उत्तर से प्रतिकूल होने के कारण इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कराया तथा अभियोजन द्वारा उसका प्रतिपरीक्षण किया गया। अभियोजन के प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने कहा कि –अभिलेखों का संधारण मुख्य रूप से प्रोडक्शन मैनेजर राजीव कुमार मंगलम द्वारा किया जाता था। अभियुक्तों का कार्य तेल प्राप्त करना, टैंकों में भरना तथा रजिस्टर में प्रविष्टि करना था। तेल का उपयोग भी प्रोडक्शन मैनेजर के निर्देशानुसार किया जाता था। कम्पनी द्वारा कोई पृथक जांच रिपोर्ट तैयार नहीं कराई गई। उसके पास ऐसी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है जिससे वह कह सके कि वर्तमान अभियुक्तों ने फर्जी तरीके से तेल का आयात, निर्यात अथवा गबन किया। यह उल्लेखनीय है कि किसी साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर देने मात्र से उसका सम्पूर्ण साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाता। न्यायालय उस साक्ष्य के उस भाग पर विश्वास कर सकता है जो अन्य साक्ष्यों से पुष्ट हो तथा स्वाभाविक प्रतीत होता हो। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने **"Sat Paul v- Delhi Administration", (1976) 1 SCC 727** तथा **"Koli Lakhmanbhai Chanabhai v- State of Gujarat", (1999) 8 SCC 624** में प्रतिपादित किया है कि *पक्षद्रोही साक्षी की गवाही को सम्पूर्णतः*

त्याग देना आवश्यक नहीं है; उसका विश्वसनीय अंश स्वीकार किया जा सकता है। वर्तमान मामले में पी.डब्ल्यू.–2 द्वारा की गई स्वीकारोक्तियाँ न केवल स्वाभाविक हैं, बल्कि वे पी.डब्ल्यू.–1 के कथनों से भी मेल खाती हैं। अतः उन्हें केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित कराया। बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में भी इस साक्षी ने स्पष्ट कहा कि–**"मुख्य रूप से प्रोडक्शन मैनेजर राजीव कुमार मंगलम ही फैक्ट्री में आने वाले तेल तथा अन्य सामान के लिए उत्तरदायी थे तथा उनके गेट–पास के बिना कोई वस्तु अथवा तेल फैक्ट्री से बाहर नहीं जा सकता था।"** इसके पश्चात् इस साक्षी ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में कहा– **मैं यह नहीं कह सकता कि अभियुक्त देवी सिंह एवं विजय कुमार का फैक्ट्री में चोरी में कोई हाथ है या नहीं।"**

6. न्यायालय की दृष्टि में यह स्वीकारोक्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अभियोजन का दूसरा प्रमुख साक्षी, जो कम्पनी का निदेशक था, वर्तमान अभियुक्तों की संलिप्तता के संबंध में कोई निश्चित कथन नहीं कर सका। उसका साक्ष्य केवल शंका उत्पन्न करता है, अपराध सिद्ध नहीं करता। इस प्रकार पी.डब्ल्यू.–2 का सम्पूर्ण साक्ष्य यह दर्शाता है कि–(i) कम्पनी में तेल की कमी थी; (ii) सम्पूर्ण नियंत्रण प्रोडक्शन मैनेजर के अधीन था; (iii) कम्पनी की किसी जांच में वर्तमान अभियुक्तों की संलिप्तता स्थापित नहीं हुई; (iv) साक्षी के पास वर्तमान अभियुक्तों के विरुद्ध कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। अतः न्यायालय का मत है कि पी. डब्ल्यू.–2 का साक्ष्य अभियोजन की अपेक्षा बचाव पक्ष के लिए अधिक सहायक सिद्ध होता है।

7. अभियोजन ने अपने तीसरे एवं अंतिम साक्षी के रूप में धर्म सिंह (पी. डब्ल्यू.–3) का परीक्षण कराया। घटना के समय यह कम्पनी में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे। मुख्य परीक्षण में इस साक्षी ने कहा कि कम्पनी में देवदार तेल का भण्डारण टैंकों में किया जाता था तथा उसके लेखा–जोखा का कार्य प्रोडक्शन मैनेजर राजीव कुमार मंगलम द्वारा देखा जाता था। उसने यह भी कहा कि बाद में उसे जानकारी हुई कि टैंकों में लगभग 23 हजार लीटर तेल कम पाया गया था तथा कार्मिक अधिकारी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस साक्षी ने भी यह स्वीकार किया कि उसे यह जानकारी नहीं है कि कम्पनी द्वारा कोई जांच की गई थी अथवा नहीं। उसने यह भी कहा कि वह किसी जांच समिति का सदस्य नहीं था। स्पष्ट है कि पी.डब्ल्यू.–3 ने स्वयं घटना नहीं देखी। उसका कथन मुख्यतः उसे बाद में प्राप्त जानकारी पर आधारित है। ऐसी गवाही अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में इस साक्षी ने अनेक महत्वपूर्ण स्वीकारोक्तियाँ कीं। उसने स्वीकार किया कि– फैक्ट्री में तीन अलग–अलग शिफ्टों में कर्मचारी कार्य करते थे। प्रत्येक शिफ्ट में अलग–अलग कर्मचारी नियुक्त रहते थे; अभियुक्तों की

शिफ्ट भी समय–समय पर बदलती रहती थी; टैंकों से तेल निकालकर गोदाम भेजने का कार्य अनेक कर्मचारी करते थे; फैक्ट्री में आने वाले तेल में पानी एवं गाद भी मिश्रित रहती थी जिसे बाद में अलग किया जाता था।इसके पश्चात् इस साक्षी ने अत्यन्त महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति की किकृतेल कम होने का कारण पानी एवं गाद का पृथक किया जाना भी हो सकता है। यह उत्तर अभियोजन के उस आधार को ही संदिग्ध बना देता है कि सम्पूर्ण कमी केवल चोरी के कारण हुई थी। यदि स्वयं अभियोजन का साक्षी यह संभावना स्वीकार करता है कि तेल की मात्रा में कमी का कोई अन्य तकनीकी अथवा स्वाभाविक कारण भी हो सकता है, तो अभियोजन पर यह दायित्व और अधिक बढ़ जाता है कि वह वैज्ञानिक अथवा तकनीकी साक्ष्य द्वारा चोरी की संभावना को ही एकमात्र निष्कर्ष सिद्ध करे। ऐसा कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।जिरह के अंत में इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा– "फैक्ट्री में तेल टैंकों से चोरी हुआ था या नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है।" यह कथन अभियोजन के लिए घातक है। जब कम्पनी का सुपरवाइजर, जो घटना के समय वहीं कार्यरत था, स्वयं यह नहीं कह पा रहा कि वास्तव में चोरी हुई भी थी अथवा नहीं, तब केवल अनुमान के आधार पर अभियुक्तों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पी.डब्ल्यू.–3 ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्तों द्वारा टैंकों से तेल निकालकर फैक्ट्री से बाहर ले जाना सम्भव नहीं था। यह स्वीकारोक्ति पी.डब्ल्यू.–1 के कथन का समर्थन करती है कि कम्पनी में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था थी जिसके रहते तेल को बिना विधिवत अनुमति बाहर ले जाना सरल नहीं था। इस प्रकार पी.डब्ल्यू.–3 का साक्ष्य भी वर्तमान अभियुक्तों के विरुद्ध किसी प्रत्यक्ष अथवा विश्वसनीय परिस्थितिजन्य साक्ष्य की स्थापना नहीं करता। इसके विपरीत, उसकी स्वीकारोक्तियाँ यह दर्शाती हैं कि–(i) तेल की कमी के अन्य संभावित कारण भी हो सकते थे; (ii) अनेक कर्मचारी विभिन्न शिफ्टों में कार्यरत थे; (iii) अभियुक्तों द्वारा चोरी किए जाने का उसे कोई प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं था; (iv) वह यह भी नहीं कह सकता कि वास्तव में चोरी हुई थी। अतः न्यायालय की राय में पी.डब्ल्यू.–3 का साक्ष्य भी अभियोजन के आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहता है।

8. तीनों अभियोजन साक्षियों का संयुक्त मूल्यांकन करने पर निम्न तथ्य निर्विवाद रूप से उभरकर सामने आते हैं–(i) कम्पनी में तेल की कमी पाई गई थी। (ii) यह सिद्ध नहीं किया गया कि उक्त कमी वर्तमान अभियुक्तों द्वारा की गई थी। (iii) किसी भी साक्षी ने अभियुक्त विजय कुमार शर्मा अथवा देवी सिंह को तेल का गबन करते हुए नहीं देखा (iv) किसी भी साक्षी ने यह नहीं कहा कि अभियुक्तों ने कोई कूटरचित अभिलेख तैयार किया। (v) किसी भी साक्षी ने यह नहीं कहा कि अभियुक्तों ने कम्पनी को छलपूर्वक धोखा देकर कोई सम्पत्ति प्राप्त की। (vi) कम्पनी की किसी जांच में वर्तमान अभियुक्तों की संलिप्तता

स्थापित नहीं हुई। (vii) सभी महत्वपूर्ण साक्षियों ने स्वीकार किया कि प्रोडक्शन मैनेजर के अधीन सम्पूर्ण व्यवस्था संचालित होती थी तथा अनेक कर्मचारी विभिन्न शिफ्टों में कार्यरत थे। अतः न्यायालय का मत है कि अभियोजन केवल तेल की कमी (shortage) सिद्ध कर पाया है; किन्तु उस कमी और वर्तमान अभियुक्तों के मध्य ऐसा अविच्छिन्न एवं विश्वसनीय संबंध स्थापित नहीं कर पाया है जिससे उनके विरुद्ध आरोपित अपराधों को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध माना जा सके।

निस्तारण विचारणीय बिन्दु सं.–1 धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता

9. धारा 405 भारतीय दण्ड संहिता, जो धारा 406 के अपराध का आधार है, के अनुसार अभियोजन को निम्नलिखित तथ्यों को सिद्ध करना आवश्यक है–

(i) अभियुक्त को संपत्ति का विधिसम्मत रूप से सुपुर्द (Entrustment) किया जाना;

(ii) अभियुक्त का उस संपत्ति पर आधिपत्य (Dominion) होना;

(iii) अभियुक्त द्वारा उस संपत्ति का बेईमानी से गबन अथवा दुरुपयोग करना या विधि अथवा अनुबंध के विपरीत उसका उपयोग करना।

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **"Velji Raghavji Patel v- State of Maharashtra", (1965) 2 SCR 429** में प्रतिपादित किया है कि Entrustment धारा 406 का मूल एवं अनिवार्य तत्व है। इसके अभाव में आपराधिक न्यासभंग का अपराध सिद्ध नहीं हो सकता। वर्तमान वाद में अभियोजन ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे यह सिद्ध हो कि विवादित 23,181 किलोग्राम तेल विशेष रूप से अभियुक्त विजय कुमार शर्मा अथवा देवी सिंह को सुपुर्द था। न तो कोई स्टॉक रजिस्टर, न हैंडिंग–ओवर रजिस्टर, न ड्यूटी चार्ट और न ही कोई अभिलेख प्रस्तुत किया गया जिससे यह स्थापित हो सके कि उक्त तेल पर इन अभियुक्तों का विशिष्ट नियंत्रण था। इसके विपरीत तीनों अभियोजन साक्षियों ने स्वीकार किया है कि विभिन्न कर्मचारियों की अलग–अलग शिफ्टें थीं तथा सम्पूर्ण व्यवस्था प्रोडक्शन मैनेजर राजीव कुमार मंगलम के नियंत्रण में थी। ऐसी स्थिति में 'Entrustment' ही सिद्ध न होने के कारण धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध वर्तमान अभियुक्तों के विरुद्ध सिद्ध नहीं होता।

निस्तारण विचारणीय बिन्दु सं.–2 धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता

11. धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के लिए यह सिद्ध किया जाना आवश्यक है कि–

(i) अभियुक्त ने प्रारम्भ से ही कपटपूर्ण अथवा बेईमानीपूर्ण आशय से किसी व्यक्ति

को धोखा दिया;

(ii) उस धोखे के कारण वह व्यक्ति संपत्ति देने अथवा कोई कार्य करने/न करने के लिए प्रेरित हुआ;

(iii) परिणामस्वरूप उसे क्षति हुई।

12- "Hridaya Ranjan Prasad Verma v. State of Bihar" (2000) 4 SCC 168 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि केवल अनुबंध के उल्लंघन अथवा दायित्व के निर्वहन में कमी से धारा 420 का अपराध सिद्ध नहीं होता; प्रारम्भ से ही कपटपूर्ण आशय सिद्ध होना आवश्यक है।वर्तमान वाद में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि अभियुक्तों ने कम्पनी को किसी प्रकार का मिथ्या प्रतिरूपण (False Representation) किया, किसी को धोखा देकर कोई संपत्ति प्राप्त की अथवा किसी को छलपूर्वक कोई कार्य करने के लिए प्रेरित किया। फलतः धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के आवश्यक तत्व पूर्णतः अनुपस्थित हैं।

निस्तारण विचारणीय बिन्दु सं.–3 धारा 467 एवं 468 भारतीय दण्ड संहिता

13. अभियोजन ने आरोप लगाया है कि अभियुक्तों ने कूटरचना की तथा कूटरचित अभिलेखों का उपयोग किया। किन्तु सम्पूर्ण विचारण के दौरान अभियोजनकृ कोई कथित कूटरचित दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सका; किसी हस्तलेख विशेषज्ञ का परीक्षण नहीं कराया; किसी दस्तावेज पर अभियुक्तों के हस्ताक्षर अथवा लेख सिद्ध नहीं कर सका; किसी गवाह ने यह नहीं कहा कि अभियुक्तों ने कोई दस्तावेज तैयार किया अथवा उसमें हेराफेरी की। धारा 467 एवं 468 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप केवल आरोपपत्र में वर्णित होने मात्र से सिद्ध नहीं हो जाते। प्रत्येक कूटरचित दस्तावेज का अस्तित्व तथा उसमें अभियुक्त की भूमिका विधिसम्मत साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जाना आवश्यक है। वर्तमान वाद में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः धारा 467 एवं 468 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप भी सिद्ध नहीं होते।

निस्तारण विचारणीय बिन्दु सं.–4 धारा 120–बी भारतीय दण्ड संहिता

14. आपराधिक षड्यंत्र सिद्ध करने के लिए अभियोजन को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि अभियुक्तों के मध्य किसी अवैध कार्य अथवा वैध कार्य को अवैध साधनों से करने का पूर्व समझौता (Meeting of Minds) हुआ था। **Kehar Singh v- State (Delhi Administration), (1988) 3 SCC 609** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि मात्र संदेह, साथ कार्य करना अथवा अवसर प्राप्त होना षड्यंत्र सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्तमान वाद में ऐसा कोई प्रत्यक्ष अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है

जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अभियुक्त विजय कुमार शर्मा एवं देवी सिंह के मध्य कोई पूर्व सहमति अथवा आपराधिक षड्यंत्र था। अतः धारा 120–बी भारतीय दण्ड संहिता का अपराध भी सिद्ध नहीं होता।

15. अभियोजन द्वारा कथित तेल की कमी का कारण स्पष्ट करने हेतु कोई वैज्ञानिक, तकनीकी अथवा लेखा परीक्षण संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। न तो सम्पूर्ण स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया, न लेखा परीक्षण, न आंतरिक जांच रिपोर्ट, न किसी विशेषज्ञ का साक्ष्य और न ही ऐसा कोई स्वतंत्र साक्ष्य जिससे यह स्थापित हो सके कि कथित कमी केवल चोरी के कारण ही हुई। इसके विपरीत पी.डब्ल्यू.–3 ने स्वयं स्वीकार किया कि तेल में उपस्थित पानी एवं गाद अलग किए जाने के कारण भी मात्रा में कमी आ सकती थी। अभियोजन ने इस संभावना का खण्डन करने हेतु कोई वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। न्यायालय यह भी पाता है कि तीनों अभियोजन साक्षियों ने अपने–अपने स्तर पर यह स्वीकार किया कि वे यह नहीं कह सकते कि वर्तमान अभियुक्तों ने तेल की चोरी की थी। यह भी सिद्ध नहीं किया गया कि कथित कमी किस अवधि में हुई, उस अवधि में किस कर्मचारी की ड्यूटी थी, किसके कब्जे में संबंधित टैंक थे तथा किस कर्मचारी ने अंतिम बार संबंधित स्टॉक का सत्यापन किया था। अतः अभियोजन की सम्पूर्ण कहानी केवल इस तथ्य पर आधारित रह जाती है कि तेल कम पाया गया। किन्तु आपराधिक न्यायशास्त्र में केवल कमी सिद्ध हो जाना और अभियुक्त द्वारा अपराध किया जाना दो भिन्न बातें हैं। इनके मध्य सुदृढ़ एवं अविच्छिन्न साक्ष्य श्रृंखला होना आवश्यक है, जिसका वर्तमान वाद में अभाव है। भारतीय साक्ष्य विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि यदि उपलब्ध साक्ष्य से दो दृष्टिकोण सम्भव हों, जिनमें एक अभियुक्त के पक्ष में हो, तो न्यायालय को वही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो अभियुक्त के पक्ष में हो। **"Kali Ram v- State of Himachal Pradesh", (1973) 2 SCC 808** में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है–*"If two views are possible, one pointing to the guilt of the accused and the other to his innocence] the view favourable to the accused should be adopted."* इसी प्रकार **"Sharad Birdhichand Sarda v- State of Maharashtra", (1984) 4 SCC 116** में यह प्रतिपादित किया गया कि *संदेह, चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, विधिक प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता।* उपर्युक्त सिद्धान्तों को वर्तमान वाद के तथ्यों पर लागू करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन वर्तमान अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है। अभियुक्तगण को अभियोजन द्वारा लगाये गये आरोपों से **दोषमुक्त** किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वाद संख्या–**902/2025** मुकदमा अपराध संख्या–**280/1995** सरकार बनाम राजीव मंगलम आदि थाना **कोतवाली देहात,** जनपद **सहारनपुर** के प्रकरण में अभियुक्तगण **1. विजय कुमार शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा एवं 2. देवी सिंह पुत्र बल्लूराम** को धारा **406, 420, 467, 468 एवं 120–बी भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध के आरोपों से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्तगण के जमानत बन्धपत्र एवं प्रतिभूति बन्धपत्र धारा 395 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अनुसार छह माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उच्चतर न्यायालय के समक्ष उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई माल–मुद्दा न्यायालय में उपलब्ध हो तो अपील की अवधि समाप्त होने के उपरान्त विधि के अनुसार उसका निस्तारण किया जाए। उनके बन्ध पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को प्रतिभू के भार से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(मेहा)
दिनांक–<u>25.07.2026</u> **न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय**
सहारनपुर।
JO CODE : UP 3708

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित व दिनांकित होकर उद्घोषित किया गया।

(मेहा)
दिनांक–**25.07.2026** **न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय**
सहारनपुर।
JO CODE : UP 3708

Digitally signed by MEHA
Date: 2026.07.25 13:34:37 GMT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court